संख्या-2/**2023/** 77-3002(003)/9/2022/**001-102**

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर लखनऊ

औद्योगिक विकास अनुभाग-**3** लखनऊ : दिनांक 13/02/2023

विषय:- वित्तीय वर्ष **2022-23** में गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में यूटिलिटी शिफि्ट्ग आदि एवं अन्य अनुमन्य व्यय हेतु के भुगतान हेतु धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक **2645/**यूपीडा/गंगा/**2022** दिनांक **16.01.2023** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ तक) में यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य व्यय के भुगतान हेतु धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ तक) हेतु वित्तीय वर्ष **2022-23** में अनुदान संख्या-**07** के लेखाशीर्षक "**5054-** सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय **03-** राज्य राजमार्ग- **337-** सड़क निर्माण कार्य- **09-** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)- **24-** वृहद निर्माण कार्य" में रू**0 44534.00** लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-**23/2022/77-3002(003)/9/2022/001-818** दिनांक **21.06.2022** द्वारा रू**0 20000.00** लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। रू**0 24534.00** लाख अवशेष है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ तक) के आर**0** ओ**0** डब्ल्यू**0** में पड़ने वाले एच**0** टी**0** टावर/लाइनों की शिफ्टिंग, ट्रांशमिशन लाइन की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, गांव एवं नलकूप आदि की शिफ्टिंग हेतु निगमों/विभागों को भुगतान किया जाना जिसके लिए धनराशि रू**0 24534.00** लाख (रुपये दो अरब पैंतालीस करोड़ चौंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) धनराशि का आहरण यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।
(2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग- **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं **0. 15/2021** /बी-**1-829/** दस- **2021-231/2022** दिनांक **30.12.2021,** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- **1** के शासनादेश संख्याः **5/2022/** बी- **1-224/** दस- **2022-231/2022** दिनांक- **29** मार्च **2022** एवं शासनादेश सं **0-13/2022/** बी- **1-454/** दस- **2022-231/2022** दिनांक **07.06.2022** मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **2,45,34,00,000** (रुपये दो अरब पैंतालीस करोड़ चौंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370900** गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **13 / 2022/** बी-**1-454/**दस-**2022-231/2022,** दिनांक- **07**-जून **2022** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार मौर्य
Date: 14-02-2023 13:47:31
Reason: Approved

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,

संख्या-2/**2023/** 77-3002(003)/9/2022/**001-102,** तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (ई-**6)** अनुभाग-**6/**औद्योगिक विकास अनुभाग-**2**
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1**
8.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),

उप सचिव,